न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर, जिला–अजमेर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – विक्रान्त गुप्ता ,(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी वाद संख्या 13/2024 (350/2009)

इण्डसण्ड बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय 9/86, रंग विहार कचहरी रोड़, अजमेर जरिये मैनेजर श्री सादिक मंसूरी।

– वादी

बनाम

1 इन्तेखाब आलम काजी पुत्र श्री मोइनुद्दीन, निवासी चन्द्रवरदाई नगर, मदीना प्रोपर्टीज के पास, अजमेर।

2. राजेन्द्र कुमार परिहार, 103, श्रीमल नगर, भीनमाल, जिला जालौर (राज.)।

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 दीवानी प्रक्रिया संहिता बाबत् वसूली राशि

उपस्थित:

1. श्री अवतार सिंह, अधिवक्ता, वादी बैंक की ओर से।
2. श्री प्रीतमसिंह सोनी व श्री गणेशी लाल अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय **दिनांक: 30.05.2026**

1. वादी बैंक की ओर से एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व्य.प्र.सं. बाबत् वसूली राशि न्यायालय में दिनांक 29.10.2009 को प्रस्तुत किये जाने पर वाद को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात उक्त वाद दिनांक 06.11.2009 को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2,अजमेर के न्यायालय को वास्ते निस्तारण अन्तरित किया गया। कालान्तर में उक्त वाद पुनः इस न्यायालय को निस्तारण हेतु प्राप्त हुआ।

2. वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी बैंक एक बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है, जो कि कम्पनीज अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है एवं उसे बैंकिंग बिजनस करने का लाईसेंस बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 के तहत प्राप्त है। वादी बैंक का रजिस्टर्ड कार्यालय 2401 जनरल थिमाया रोड़, कंटोनमेंट पुणे में स्थित है व इसकी शाखाएं पूरे भारत में स्थित है, जिसमें से एक शाखा 9/86, रंग विहार कचहरी रोड़, अजमेर में स्थित है। वादी बैंक का कार्य क्षेत्र बैंकिंग के अतिरिक्त वाहनों, भवनों इत्यादि पर ऋण सुविधा उपलब्ध

करवाना है तथा सादिक वादी बैंक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एवं मैनेजर के पद पर कार्यरत है। वादी बैंक ने उन्हें न्यायालय में दावा, जवाबदावा, प्रार्थना–पत्र, शपथ पत्र, साक्ष्य, दस्तावेज पेश करने व अन्य समस्त कार्यवाहियां जो कि प्रस्तुत वाद के निस्तारण हेतु वांछित व आवश्यक हो, करने के लिए अधिकृत किया हुआ है।

वादी बैंक में प्रतिवादी संख्या–1 कैशियर तथा प्रतिवादी संख्या 2 ब्रांच ऑपरेशनल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी बैंक में कार्यरत रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग करते हुए वादी बैंक को आर्थिक क्षति कारित करने के उद्देश्य से बैंक में उसके ग्राहकों द्वारा जमा करायी जाने वाली राशियों का गबन किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी बैंक के ग्राहकों को तो बैंक की सील व हस्ताक्षर कर रसीद जारी कर दी, जिसका इंद्राज ग्राहकों के बैंक अकाउण्ट में नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 2 ने जान–बूझकर अपने काम में लापरवाही करते हुये प्रतिवादी संख्या 1 को धोखाधड़ी करने में सहायता करते हुये बैंक के नियमों व प्रक्रिया का उल्लंघन प्रतिवादीगण ने किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी बैंक के ग्राहक अग्रवाल मोटर कम्पनी का करन्ट अकाउण्ट संख्या 0129 एम 17311–060 की राशि 58,500/– रुपये, थांवरदास, संत कंवरराम धर्मशाला पड़ाव, अजमेर का करन्ट अकाउण्ट संख्या 0129 एम 16861–061 की राशि 1,00,000/– रुपये,, जेन्टल कम्पयूटरी सर्विसेज 224/12, रामगली, हाथीभाटा का अकाउण्ट संख्या एम 17811060 की राशि 35,000/–, 47,000/–, 40,000/–, वादी बैंक की राशि 20,00,000/– रुपये इत्यादि राशियों का गबन प्रतिवादीगण ने मिलीभगत करते हुये ग्राहकों को रसीद जारी कर उनका इंद्राज संबंधित ग्राहक के खातों में न करने अथवा संबंधित बैंक में जमा नहीं करवाने के कारण वादी बैंक ने उक्त राशि के गबन बाबत शिकायत पुलिस थाना सदर कोतवाली, अजमेर में प्रस्तुत की, जिस पर पुलिस ने प्रथम सूचना संख्या 9/2009 दर्ज की गयी। वादी बैंक के पास अभी भी ग्राहकों की शिकायतें प्राप्त हो रही है, इसलिए वादी बैंक अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये वर्तमान में उक्त राशि की ही वसूली का वाद प्रस्तुत कर रहा है। वादी बैंक द्वारा प्रतिवादी से बार–बार राशि अदायगी हेतु निवेदन किया, जिसकी अदायगी नहीं किये जाने पर दिनांक 14.07.2009 को जरिये रजिस्टर्ड एडी व यू.पी.सी को नोटिस प्रेषित किये, जिनमें से प्रतिवादी संख्या 1 को नोटिस प्राप्त हो गया। प्रतिवादी संख्या 2 को भेजा गया रजिस्टर्ड एडी नोटिस वापस प्राप्त हो गया है, जबकि उस पर यू.पी.सी. सूचना पत्र शामिल हो गया। प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद नोटिस तीस दिवस में राशि वादी बैंक को अदा नहीं की गयी है, जिस कारण से प्रतिवादीगण संयुक्त व पृथक–पृथक रूप से राशि अदा करने हेतु विधिक रूप

से अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण ने उक्त राशि का गबन किया है, जिसकी वसूली का वादी बैंक को पूर्ण रूप से अधिकार है, क्योंकि वे वादी बैंक के अधीन कार्य करते हुये उक्त राशि का गबन किया है। प्रतिवादीगण द्वारा राशि का गबन करने की सर्वप्रथम जानकारी वादी बैंक को दिनांक 30.08.2008 को हुयी। प्रतिवादीगण को उनके अवैधानिक कृत्य किये जाने के कारण वादी बैंक ने उनको बैंक सेवाओं से बर्खास्त कर दिया। वादी बैंक द्वारा दिनांक 14.07.2009 को नोटिस/सूचना पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात भी राशि अदा नहीं की गई है। अतः वादी बैंक का वाद विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से संयुक्त व पृथक–पृथक रूप से राशि 22,30,500/–रूपये वाद प्रस्तुत करने की दिनांक से तावसूली 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिलवाये जाने का निवेदन करते हुए वाद पत्र स्वीकार किया जावे।

3. उक्त वादपत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात न्यायालय द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी किये जाने के पश्चात भी प्रतिवादी संख्या 2 दिनांक 05.12.2016 एवं प्रतिवादी संख्या–1 दिनांक 12.12.2017 को न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, **दिनांक 20.12.2018 को एक पक्षीय निर्णय–डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा दिनांक 13.09.2021 को एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. का पेश किया गया। उक्त आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.01.2024 से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या–2 के विरूद्ध पूर्व में पारित किये गये एक तरफा निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश पारित किया गया।**

4. उक्त आदेश के पश्चात प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से वादी बैंक की ओर से प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि श्री सादिक वादी बैंक का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एवं मैनेजर के पद पर तत्समय कार्यरत होने व वाद प्रस्तुत करने को अधिकृत होने का कथन असत्य है। इस कारण से वाद पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी संख्या–2 किस दिनांक से किस दिनांक तक वादी बैंक में ब्रांच ऑपरेशनल मैनेजर के पद पर कार्यरत था, इस बाबत अस्पष्ट एवं विवरणहीन कथन अंकित किये हैं। प्रतिवादी संख्या–1 जो कि वादी बैंक का कैशियर था, के द्वारा जिस भी राशि का गबन किया है, उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। प्रतिवादी संख्या–2 ने कभी कोई लापरवाही नहीं की है, न ही प्रतिवादी संख्या 1 के साथ धोखाधड़ी करने में कोई सहायता, नियमों व प्रक्रिया का उल्लंघन

Authenticated Document

किया है। दिनांक 11.07.2008 को प्रतिवादी संख्या–2 अवकाश पर था, इसलिए प्रतिवादी संख्या–2 के मार्फत कथित राशि जमा करवाने का प्रश्न ही नहीं था। पुलिस ने भी बाद अनुसंधान आरोप–पत्र प्रतिवादी संख्या–1 को ही दोषी मानते हुए प्रस्तुत किया है। वादी बैंक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध ही दर्ज करवायी है। वादी बैंक की ओर से प्रतिवादी संख्या–2 को 58,500/–रूपये की राशि बाबत लापरवाही की सूचना देने व प्रतिवादी संख्या 1 से मिलकर कार्यवाही न करने बाबत मिथ्या व मनगढंत आरोप लगाये हैं। वादी बैंक का कैशियर प्रतिवादी संख्या–1 था, जिसने कैश जमा करके जमाकर्ता को रसीद दे दी, जिसका इन्द्राज कम्प्यूटर में नहीं किया। ऐसी स्थिति में जमा राशि का गबन कर लिया तो उसके लिए प्रतिवादी संख्या–2 को ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि प्रतिवादी संख्या–2 के पास तो कम्प्यूटर में की गई जमा प्रविष्टियों का ही इन्द्राज आता था, जिसके अनुसार शाम को कैश मिलाने का कार्य था। सिस्टम में जमा राशि का अंकन करने का कार्य प्रतिवादी संख्या–1 का था, ना कि प्रतिवादी संख्या–2 का। प्रतिवादी संख्या–1 ने ही अपने खाते से राशि का आहरण कर पचास हजार रूपये अग्रवाल मैसर्स के खाते में जमा कराये, जिससे स्पष्ट है कि इस संबंध में प्रतिवादी संख्या–2 पर लगाये गये सभी आरोप मिथ्या है। प्रतिवादी ने अपने कार्य के प्रति कोई लापरवाही नहीं की है, ना ही नियमों का उल्लंघन किया है। प्रतिवादी संख्या–2 ने प्रतिवादी संख्या–1 को हैरा–फैरी करने में सहयोग करने के मिथ्या आरोप लगाये हैं। प्रतिवादी संख्या–1 ने बैंक में कैशियर के पद पर रहते हुए तीन राशियां पार्टी से प्राप्त कर प्राप्ति रसीद देकर उक्त राशियों का इन्द्राज सिस्टम में नहीं कर गबन किया है, जिसके लिए प्रतिवादी संख्या–2 किसी भी प्रकार की लापरवाही व त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रतिवादी संख्या–2 राशि 22,30,500/–रूपये के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं है, ना ही इस संबंध में कोई शिकायत प्रतिवादी संख्या–2 के विरूद्ध की गई है, ऐसी स्थिति में वादी बैंक प्रतिवादी संख्या–2 से किसी भी प्रकार की कोई याचित राशि वसूल करने का अधिकारी नहीं है। वादी बैंक ने प्रतिवादी संख्या–2 से कभी भी मौखिक रूप से कथित राशि की मांग नहीं की। वादी बैंक ने अकारण ही प्रतिवादी संख्या–2 को पक्षकार बनाते हुए, हैरान व परेशान करने के लिए यह वाद पेश किया है। वादी बैंक के अधिवक्ता की ओर से प्रेषित कोई नोटिस प्रतिवादी संख्या–2 को प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या–2 का कोई भी कृत्य गलत व अवैधानिक नहीं है। प्रतिवादी संख्या–2 को सेवा से बर्खास्त नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या–2 के विरूद्ध वादी बैंक को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः प्रतिवादी संख्या–2 के विरूद्ध वादी बैंक किसी भी प्रकार का याचित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से

Authenticated Document

वाद पत्र सव्यय अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. वादी एवं प्रतिवादी संख्या–2 के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक विरचित किये गये–

1. आया प्रतिवादी संख्या–1 वादी बैंक में कैशियर के पद पर एवं प्रतिवादी संख्या–2 ब्रांच में ऑपरेशनल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे?

... वादी बैंक

2. आया प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के वाद पत्र की मद संख्या–4 में वर्णित राशि कुल 22,30,500/–रूपये संबंधित खातों में जमा नहीं कराकर अपने पास रखा। वादी बैंक उक्त राशि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से संयुक्त व पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है?

... वादी बैंक

3. अनुतोष ?

6. उपरोक्त विवाद्यक के समर्थन में वादी बैंक की ओर से अपनी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू 1 अनुपम शर्मा को परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात

प्रदर्श	दस्तावेज का नाम
प्रदर्श-1	गवाह अनुपम शर्मा का ऑथेरिटी लेटर
प्रदर्श-2	ऑडिट रिपोर्ट
प्रदर्श-3	लिखित रिपोर्ट
प्रदर्श-4	चाक एफ.आई.आर.
प्रदर्श-5	आरोप-पत्र
प्रदर्श-6	जी.एल.बैरवा के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं.
प्रदर्श-7	विधिक नोटिस
प्रदर्श-8	पोस्टल रसीद
प्रदर्श-9	पोस्टल रसीद
प्रदर्श-10	यू.पी.सी.रसीद
प्रदर्श-11	लौटकर आया नोटिस लिफाफा मय ए.डी.
प्रदर्श-12	प्राप्ति स्वीकृत
प्रदर्श-13	इण्डसण्ड बैंक के खाते का स्टेटमेंट
प्रदर्श-14	मैसर्स जेन्टल कम्प्यूटर सर्विस के बैंक खाते का स्टेटमेंट
प्रदर्श-15	मैसर्स जेन्टल कम्प्यूटर सर्विस के बैंक खाते का

	स्टेटमेंट
प्रदर्श-16	मैसर्स जेन्टल कम्प्यूटर सर्विस के बैंक खाते का स्टेटमेंट
प्रदर्श-17	ऑथेरिटी लेटर

प्रदर्शित कराये गये–

7. प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में डी. डब्ल्यू. 1 राजेन्द्र कुमार परिहार को परीक्षित करवाया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में

प्रदर्श	दस्तावेज का नाम
प्रदर्श-ए 1	इण्डसण्ड बैंक में सेवारत रहने के दौरान माह जुलाई, 2008 का उपस्थिति रजिस्टर

को प्रदर्शित करवाया गया।

विवाद्यक संख्या–01 व 02

8. उक्त दोनों विवाद्यक एक–दूसरे से परस्पर संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 में वादी बैंक को साबित करना है कि आया प्रतिवादी संख्या–1 वादी बैंक में कैशियर के पद पर एवं प्रतिवादी संख्या–2 ब्रांच में ऑपरेशनल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे तथा आया प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के वाद पत्र की मद संख्या–4 में वर्णित राशि कुल 22,30,500/–रूपये संबंधित खातों में जमा नहीं कराकर अपने पास रखा। वादी बैंक उक्त राशि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से संयुक्त व पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है?

9. उक्त दोनों विवाद्यकों को निर्णीत करने से पूर्व दोनों पक्षों की ओर से उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में पेश की गई साक्ष्य का संक्षिप्त विवेचन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में वादी बैंक की ओर से साक्ष्य में पी.डब्ल्यू 1 अनुपम शर्मा को परीक्षित कराया, जिसने मुख्य परीक्षा के रूप में स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया, जिसमें वादपत्र में अंकित तथ्यों की अक्षरशः पुनरावृत्ति की है। **विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि** बैंक में यदि किसी को कैश जमा कराना होता है तो बैंक में आकर डिपोजिट स्लिप भरकर कैश काउंटर पर जमा करवा सकता है। उक्त कार्य कैशियर और ऑपरेशनल मैनेजर द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। **कैशियर ग्राहक से कैश प्राप्त करने के बाद जमा स्लिप को सिस्टम में प्रविष्ठ करता है। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसके बाद जमा स्लिप कैशियर द्वारा ऑपरेशनल मैनेजर को सुपुर्द करता है तथा ऑपरेशनल मैनेजर**

उसको ऑथेराईज करता है, तब यह राशि ग्राहक के खाते में जमा होती है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि पूरे दिन के लेन–देन का मिलान करने के बाद कैश बंद किया जाता है, जिस पर कैशियर व ऑपरेशनल मैनेजर के हस्ताक्षर होते हैं। कैशियर और ऑपरेशनल मैनेजर दोनों मिलकर कैश को ऑथोराईज्ड करके हमारी बैंक से एस.बी.आई. बैंक में जमा कराते हैं। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पास बैंक की तरफ कोई पॉवर ऑफ अटोर्नी नहीं है लेकिन उसके पास बैंक की तरफ से जारी किया गया पत्र है, जो बैंक की तरफ से न्यायालय में पैरवी करने का अधिकार देता है। **गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि शपथ–पत्र के अनुसार दिनांक 11.07.2008 को प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा रूपये बीस लाख एस.बी.आई. में जमा करवाने थे लेकिन प्रतिवादी संख्या–1 ने उक्त राशि वादी बैंक के खाते में जमा नहीं करवायी व स्वयं के पास रखकर वादी बैंक की उक्त राशि का गबन किया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 11.07.2008 को भी समस्त लेन–देन की जांच करने के बाद उस दिन कार्यरत कैशियर व ऑपरेशनल मैनेजर द्वारा कैश मिलान किया गया हो और दोनों के हस्ताक्षर होने के बाद ही कैश बंद किया गया होगा। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 11.07.2008 को कार्यरत कैशियर व ऑपरेशनल मैनेजर की जिम्मेदारी थी। गवाह ने इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि दिनांक 11.07.2008 और 12.07.2008 को प्रतिवादी संख्या–2 राजेन्द्र कुमार अवकाश पर हो। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस थाना कोतवाली, अजमेर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–173/2008 प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध गबन की सूचना राजेन्द्र कुमार के द्वारा दर्ज करवायी गयी थी, जिसकी एफ.आई.आर. प्रदर्श 3 व प्रदर्श–4 है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस द्वारा चालान प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध पेश किया गया था एवं प्रतिवादी संख्या–2 के विरूद्ध कोई चालान पेश नहीं किया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि वाद में वर्णित ग्राहकों की जितनी भी राशि जमा हुई है, उनको इन्द्राज बैंक के कम्प्यूटर में नहीं है, साथ ही इनके द्वारा जारी की गई जमा स्लिप बैंक के रेकार्ड में नहीं है,** के कथन किये हैं।

10. **प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से साक्ष्य में डी.डब्ल्यू 1 स्वयं प्रतिवादी संख्या–2 राजेन्द्र कुमार परिहार को** परीक्षित कराया, जिसने मुख्य परीक्षा के रूप में स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया, जिसमें जवाबदावे में अंकित तथ्यों की अक्षरशः पुनरावृत्ति की है। **उक्त गवाह से विद्वान अधिवक्ता वादी बैंक की ओर से की गई जिरह में** कथन किया है कि वह वादी बैंक में सन् 2005 से ऑपरेशनल मैनेजर के पद पर कार्यरत था। प्रतिवादी संख्या–1 कैशियर के पद पर सन् 2005 के पहले से ही कार्यरत था। ऑपरेशनल मैनेजर पर कार्यरत रहने के दौरान

कैशियर द्वारा सिस्टम में इन्द्राज प्रविष्टियों को देखने का कार्य करता था। गवाह ने इस बात को स्वीकार किया है कि वादी बैंक से 22,30,500/-रूपये का गबन हुआ था, जिसके लिए कैशियर प्रतिवादी संख्या-1 ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, जिससे गवाह का कोई लेना-देना नहीं है। **गवाह ने आगे यह भी कथन किया है कि दिनांक 11.07.2008 को जिस दिन वह अवकाश पर था, प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा बीस लाख रूपये का गबन किया गया, जिसकी जानकारी उसे प्राप्त होते ही उसने उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर पुलिस में उसके द्वारा ही एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी, जो प्रदर्श-3 व प्रदर्श-4 है। गवाह ने इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि 11 जुलाई व 12 जुलाई, 2008 को अवकाश पर होने के बावजूद भी उसे उक्त दोनों दिवस बैंक में हुए लेन-देन संव्यवहारों की जानकारी हो। बैंक का कार्य प्रतिदिन ही देखा जाता है। अग्रवाल मोटर्स के खाते में 58,500/-रूपये, थांवरदास के खाते में 1,00,000/-रूपये, जेन्टल कम्प्यूटर सर्विसेज के खाते में अलग-अलग तारीखों में 1,22,000/-रूपये गबन होने के कारण वादी बैंक में जमा करवाये हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। उक्त वर्णित शिकायतों में कैशियर प्रतिवादी संख्या-2 ने अपने हस्ताक्षर जारी कर दी, जिस पर उसके कोई हस्ताक्षर नहीं है और ना ही उसकी जानकारी में कभी आया। उक्त राशियों की अदायगी बाबत पूर्ण जिम्मेदारी व जवाबदेही वादी बैंक को अदा करने की जवाबदेही केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 की बनती है, के कथन किये हैं।**

11. विद्वान अधिवक्ता वादी बैंक की ओर से उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में तर्क पेश किये गये हैं कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित होता है कि वादी बैंक में कथित गबन की राशि 22,30,500/-रूपये की अवधि के दौरान प्रतिवादी संख्या-2 ऑपरेशनल मैनेजर के पद पर कार्यरत था एवं प्रतिवादी संख्या-1 कैशियर के पद पर कार्यरत था। इस बाबत किसी भी प्रकार की कोई खण्डनस्वरूप साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि वादी बैंक के यहां ग्राहकों द्वारा राशि जमा कराने पर उक्त राशि को प्रतिवादीगण द्वारा सिस्टम से मिलान करने के पश्चात उक्त दिवस को ही वादी बैंक के एस.बी.आई. स्थित खाते में जमा करवाने का उत्तरदायित्व दोनों प्रतिवादीगण का होता है। उनका यह भी तर्क है कि वादी बैंक के ग्राहकों का पैसा यदि सम्बन्धित एस.बी.आई. बैंक में जमा नहीं करवाया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या-2 जो कि तत्समय ऑपरेशनल मैनेजर के पद पर कार्यरत था, की भी पूर्ण रूप से व्यक्तिगत व पृथक-पृथक रूप से जिम्मेदारी होती है। उक्त जिम्मेदारी का यदि निर्वहन न करते हुए राशि का गबन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वादी बैंक अपने कैशियर व ऑपरेशनल मैनेजर से गबन की गई राशि की

वसूली करने की पूर्ण अधिकारी है। उनका यह भी तर्क है कि वादी बैंक ने गबन किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध अग्रवाल मोटर्स, जेनटल कम्प्यूटर्स व अन्य के खातों में शिकायत किये जाने के पश्चात राशि जमा करवाये जाने से भी साबित होता है। उनका यह भी तर्क है कि वादी बैंक के ग्राहकों की जमा राशि को एस.बी.आई. बैंक स्थित वादी के खाते में जमा करवायी गयी हो, ऐसी कोई भी साक्ष्य प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से पेश नहीं की गई है, वरन केवल मात्र यह कथन किया है कि वह उक्त दिवस को अवकाश पर था, से अपनी पदीय दायित्व से उन्मोचित नहीं किया जा सकता है। अतः वादी बैंक का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–2 स्वीकार किये जाने योग्य होने से उक्त दोनों विवाद्यक वादी बैंक के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या–2 के विरूद्ध निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

12. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क पेश किया गया है कि वादी बैंक की ओर से पेश की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादी संख्या–2 किस दिनांक से किस दिनांक तक वादी बैंक में ब्रांच ऑपरेशनल मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उनका यह भी तर्क है कि यदि कैशियर द्वारा ग्राहकों की राशि जमा कर बैंक की जमा रसीद अपने हस्ताक्षर कर ग्राहकों को दी जाती है एवं बैंक प्रति पर किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर न करते हुए ना ही ग्राहकों से जमा की गई राशि का इन्द्राज यदि सिस्टम में नहीं किया जाता है तो इस प्रकार की राशि के गबन का जिम्मेदार संबंधित बैंक के ऑपरेशनल मैनेजर को नहीं ठहराया जा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि कैशियर द्वारा सिस्टम में जमा राशि का इन्द्राज किये जाने के पश्चात यदि इस प्रकार की राशि का गबन किया जाता है, तो ही संबंधित बैंक के ऑपरेशनल मैनेजर को तथाकथित गबन में सहभागीदार मानते हुए जिम्मेदार ठहराया जाकर इस प्रकार की राशि की वसूली की जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से यह तर्क भी पेश किया गया है कि प्रतिवादी संख्या–2 दिनांक 11.07.2008 को अवकाश पर था। ऐसी स्थिति में उक्त दिनांक को जमा की गई राशि से संबंधित किसी भी कृत्य के लिए प्रतिवादी संख्या–2 ऑपरेशनल मैनेजर को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि किसी भी बैंक के ऑपरेशनल मैनेजर के अवकाश पर होने से उस दिवस के समस्त लेन–देन की सिस्टम से मिलान किया जाकर शेष राशि को नियमानुसार जमा किया जाता है। उसकी जिम्मेदारी उस दिवस ऑपरेशनल मैनेजर का कार्यभार करने वाले अधिकारी/कर्मचारी की थी। उनका यह भी तर्क है कि बैंक में प्रतिदिन हुए लेन–देन को उसी दिवस शाम को पूर्ण कर सम्पादित किया जाना अनिवार्य है, ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति के अवकाश पर होने पर उसे उस अवकाश के दिवस के लेन–देन में भी हेरा–फैरी अथवा गबन के

लिए किसी भी रूप से लापरवाही अथवा दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा किये गये गबन की जानकारी प्रतिवादी संख्या–2 को होने पर उसी के द्वारा संबंधित उच्चाधिकारियों को सूचना दी जाकर, रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज करवायी गयी है। उक्त रिपोर्ट में पुलिस ने बाद अनुसंधान प्रतिवादी संख्या–1 को ही दोषी मानते हुए न्यायालय में आरोप–पत्र पेश किया है, जिससे भी प्रतिवादी संख्या–2 को तथाकथित गबन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, ना ही उससे वसूली की कार्यवाही की जा सकती है। उनका यह भी तर्क है कि प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा किसी भी प्रकार का गबन नहीं किया गया है, वरन् प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा गबन किया गया है, इस तथ्य की पुष्टि वादी की ओर से पेश किये गये वाद पत्र व साक्ष्य से भी होती है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संबंधित ग्राहकों द्वारा शाखा प्रबंधक को शिकायत करने के पश्चात उन संबंधित ग्राहकों के खाते में प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा राशि जमा करवायी गयी है। उनका यह भी तर्क है कि वादी बैंक की ओर से पेश किये गये साक्षी पी.डब्ल्यू 1 अनुपम शर्मा ने भी अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 11.07.2008 को प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा बीस लाख रूपये एस.बी.आई. में जमा करवाने थे, लेकिन प्रतिवादी संख्या–1 ने उक्त राशि वादी बैंक के खाते में जमा नहीं करवाकर गबन किया है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से यह भी तर्क पेश किया गया है कि प्रदर्श ए 1 इण्डसण्ड बैंक में सेवारत कर्मचारियों का माह जुलाई, 2008 के उपस्थिति रजिस्टर की प्रति से भी यह भली–भांति प्रकट होता है कि गबन की दिनांक 11.07.2008 को प्रतिवादी संख्या–2 अवकाश पर था, जिसके स्थान पर किसी अन्य बैंक कर्मचारी/अधिकारी द्वारा कार्य सम्पादित किया गया, जिसके लिए उस दिवस कार्यरत संबंधित कर्मचारी को ही लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुए दोषी माना जाकर किये गये गबन की राशि की वसूली की जा सकती है, न कि वास्तविक रूप से कार्यरत कर्मचारी जो कि उस दिवस को अवकाश पर था, उसे लापरवाही पूर्ण कार्य का दोषी माना जाकर किये गये गबन की राशि वसूल की जा सकती हो। अतः उक्त दोनों विवाद्यक वादी बैंक के विरुद्ध निर्णीत किये जाने का निवेदन किया गया।

13. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन करने से यह भी प्रकट होता है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश की गई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह पूर्ण रूप से साबित है कि गबन की दिनांकों को प्रतिवादी संख्या–1 वादी बैंक की ब्रांच में कैशियर के पद पर एवं प्रतिवादी संख्या–2 वादी बैंक की ब्रांच में ऑपरेशनल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे।

Authenticated Document

14. अब न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह निष्कर्षित किया जाना है कि प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने वादपत्र में वर्णित राशि 22,30,500/–रूपये संबंधित खातों में जमा नहीं करवाकर अपने पास रखकर गबन करने से, वादी बैंक उक्त राशि प्रतिवादी संख्या–1 से ही अथवा प्रतिवादी संख्या–1 व 2 से संयुक्ततः अथवा पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करें तो यह पूर्व में विवेचित व विश्लेषित किया जा चुका है कि प्रतिवादी संख्या–1 कैशियर व प्रतिवादी संख्या–2 ऑपरेशनल मैनेजर के पद पर वादी बैंक की शाखा में कार्यरत थे। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से पेश किया गया यह तर्क कि दिनांक 11.07.2008 को प्रतिवादी संख्या–2 अवकाश पर था। प्रतिवादी संख्या–2 के अवकाश पर होने के कारण उक्त दिवस को वादी बैंक की बीस लाख रूपये की राशि एस.बी.आई. बैंक में कैशियर व उक्त दिवस के संबंधित ऑपरेशनल मैनेजर द्वारा जमा करवाये जाने के लिए उत्तरदायी ठहराये जा सकते हैं, स्वीकार किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से दिनांक 11.07.2008 को प्रतिवादी संख्या–2 के अवकाश पर होने बाबत उक्त माह के कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर की प्रति प्रदर्श ए 1 को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है। उक्त प्रदर्श ए 1 वादी बैंक की शाखा में कार्यरत कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर ना हो, इस तथ्य का खण्डन वादी बैंक की ओर से पेश की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं होता है।

15. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि बैंक में ग्राहकों द्वारा यदि किसी प्रकार की राशि जमा करवायी जाती है, तो इस प्रकार की राशि संबंधित बैंक के कैशियर द्वारा प्राप्त करने के पश्चात प्राप्ति की पुष्टि में राशि जमा करवाने की स्लिप का एक निश्चित भाग संबंधित ग्राहक को कैशियर राशि प्राप्त करने का अंकन मय बैंक की सील मय हस्ताक्षर करते हुए सम्पुष्टि में ग्राहक को दी जाती है तथा द्वितीय बैंक प्रति से संबंधित ग्राहक के खाते में राशि जमा किये जाने हेतु सिस्टम में इन्द्राज किये जाने के पश्चात ही वादी बैंक के कैशियर के दिन भर के लेन–देन की प्रविष्टियों की पुष्टि करने के लिए संबंधित बैंक का ऑपरेशनल मैनेजर ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यदि किसी ग्राहक से राशि प्राप्त किये जाने की प्राप्ति रसीद ग्राहक को देने के पश्चात इस प्रकार की प्राप्ति राशि की रसीद का इन्द्राज संबंधित रजिस्टर व सिस्टम में कैशियर अर्थात प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा नहीं किया जाकर इस प्रकार की राशि का गबन किया जाता है तो उक्त राशि के लिए प्रतिवादी संख्या–2 को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाकर उससे संबंधित राशि की वसूली नहीं की जा

सकती है, इस परिस्थिति में जबकि प्रतिवादी संख्या–2 विशेषकर उस दिवस को अवकाश पर होने के कारण अन्य अधिकारी द्वारा कार्य का सम्पादन किया गया हो।

16. पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि वादी बैंक की ओर से पेश किये गये गवाह पी.डब्ल्यू 1 अनुपम शर्मा ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि **कैशियर ग्राहक से कैश प्राप्त करने के बाद जमा स्लिप को सिस्टम में प्रविष्ठ करता है। उसके बाद जमा स्लिप कैशियर द्वारा ऑपरेशनल मैनेजर को सुपुर्द करता है तथा ऑपरेशनल मैनेजर उसको ऑथेराईज करता है, तब यह राशि ग्राहक के खाते में जमा होती है। पूरे दिन के लेन–देन का मिलान करने के बाद कैश बंद किया जाता है, जिस पर कैशियर व ऑपरेशनल मैनेजर के हस्ताक्षर होते हैं। कैशियर और ऑपरेशनल मैनेजर दोनों मिलकर कैश को ऑथोराईज्ड करके हमारी बैंक से एस.बी.आई. बैंक में जमा कराते हैं। शपथ–पत्र के अनुसार दिनांक 11.07.2008 को प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा रूपये बीस लाख एस.बी.आई. में जमा करवाने थे लेकिन प्रतिवादी संख्या–1 ने उक्त राशि वादी बैंक के खाते में जमा नहीं करवायी व स्वयं के पास रखकर वादी बैंक की उक्त राशि का गबन किया। दिनांक 11.07.2008 को कार्यरत कैशियर व ऑपरेशनल मैनेजर की जिम्मेदारी थी। पुलिस थाना कोतवाली, अजमेर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–173/2008 प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध गबन की सूचना राजेन्द्र कुमार के द्वारा दर्ज करवायी गयी थी, जिसकी एफ.आई.आर. प्रदर्श 3 व प्रदर्श–4 है। पुलिस द्वारा चालान प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध पेश किया गया था एवं प्रतिवादी संख्या–2 के विरूद्ध कोई चालान पेश नहीं किया। वाद में वर्णित ग्राहकों की जितनी भी राशि जमा हुई है, उनका इन्द्राज बैंक के कम्प्यूटर में नहीं है, साथ ही इनके द्वारा जारी की गई जमा स्लिप बैंक के रेकार्ड में नहीं है।** इस प्रकार उक्त गवाह के प्रतिपरीक्षण से भी विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से दिये गये तर्कों का समर्थन होता है।

17. पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 को जब अवकाश से लौटने के पश्चात माह जुलाई, 2008 के प्राप्त रिकार्ड से वादी बैंक की शाखा में वादपत्र में वर्णित राशि का गबन किये जाने की जानकारी होने पर प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को गबन की जानकारी दी जाकर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार संबंधित कैशियर अर्थात प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध लिखित रिपोर्ट प्रदर्श 3 अपने हस्ताक्षर से थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर कोतवाली, अजमेर में दिनांक 30.08.2008 को पेश की गई। उक्त पेश की गई लिखित रिपोर्ट प्रदर्श–3 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त

Authenticated Document

रिपोर्ट में भी प्रतिवादी संख्या–1 इन्तेखाब आलम काजी के नाम का मय पद उल्लेख करते हुए, दिनांक 11.07.2008 को 20,00,000/–(अक्षरे राशि बीस लाख रूपये)स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाते में जमा करवाने की एन्ट्री पास किये जाने के बावजूद भी वास्तव में इन्तेखाब आलम काजी के द्वारा बीस लाख रूपये स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में नहीं भिजवाकर खुर्द बुर्द कर लेकर चले गये, का अंकन किया गया है। प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा पेश की गई लिखित रिपोर्ट प्रदर्श–3 के आधार पर थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर कोतवाली, अजमेर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 173/2008 प्रदर्श–4 चाक की जाकर, उक्त रिपोर्ट के आधार पर बाद अनुसंधान न्यायालय में आरोप–पत्र प्रदर्श–5 अन्तर्गत धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता का पेश किया गया है, जिसमें भी प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध आरोपित अपराध कारित किया जाना साबित माना है। उक्त आरोप–पत्र के पश्चात वादी बैंक की ओर से प्रतिवादी संख्या–2 के द्वारा भी किसी भी प्रकार का आपराधिक कृत्य किये जाने बाबत कोई कार्यवाही सम्पादित की गई हो, का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आरोप–पत्र प्रदर्श–5 न माने जाने बाबत कोई साक्ष्य नहीं है।

18. पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि वादी बैंक की ओर से पेश किये गये खाते का विवरण प्रदर्श–13 में भी प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा 20,00,000/–की राशि का गबन किये जाने के साथ ही अन्य खातों में भी इसी प्रकार का गबन किया गया है। उक्त खातों के स्टेटमेंट की प्रतियों को प्रदर्शित करवाया गया है, जिनके अवलोकन से भी प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा किसी भी प्रकार गबन किया जाना अंकित न किया जाकर प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा ही उक्त राशियों का गबन दिनांक 11.07.2008 को जब प्रदर्श ए 1 के अनुसार प्रतिवादी संख्या–2 के अवकाश पर होने के दौरान किया जाना साबित होता है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रतिवादी संख्या–2 के अवकाश के दिन किये गये गबन के प्रति प्रतिवादी संख्या–2 को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाकर वसूली की कार्यवाही प्रतिवादी संख्या–2 से नहीं की जा सकती है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि बैंक में प्रतिदिन हुए लेन–देन व संव्यवहार का मिलान संबंधित कैशियर व उस दिवस कार्यरत ऑपरेशनल मैनेजर को ही उत्तरदायी ठहराया जाकर वसूली की कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु हस्तगत वाद में उक्त दिवस दिनांक 11.07.2008 को प्रतिवादी संख्या–2 अवकाश पर था, जिसकी अनुपस्थिति में प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा उक्त गबन किया गया है। अतः उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण से विवाद्यक संख्या 1 वादी बैंक के पक्ष में तथा विवाद्यक संख्या–2 वादी बैंक के विरूद्ध तथा प्रतिवादी संख्या–2 के पक्ष में निर्णीत किये जाते हैं।

Authenticated Document

अनुतोष

19. चूंकि पूर्व में किये गये विवेचन व विश्लेषण के अनुसार विवाद्यक संख्या 1 वादी बैंक के पक्ष में तथा विवाद्यक संख्या–2 वादी बैंक के विरुद्ध तथा प्रतिवादी संख्या–2 के पक्ष में निर्णीत किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवाद्यकों में निष्कर्षित तथ्यों के अनुसार वादी बैंक का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–2 की सीमा तक आंशिक रूप से अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

20. परिणामतः वादी इण्डसण्ड बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय 9/86, रंग विहार कचहरी रोड़, अजमेर जरिये मैनेजर श्री सादिक मंसूरी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–2 राजेन्द्र कुमार परिहार, 103, श्रीमल नगर, भीनमाल, जिला जालौर (राज.) की सीमा तक अस्वीकार कर खारिज किया जाकर, वादी बैंक प्रतिवादी संख्या–1 इन्तेखाब आलम काजी पुत्र श्री मोइनुद्दीन, निवासी चन्द्रवरदाई नगर, मदीना प्रोपर्टीज के पास, अजमेर के विरूद्ध पूर्व में पारित किये गये निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.2018 के अनुसार मूल बकाया राशि 22,30,500/–(अक्षरे रूपये बाईस लाख तीस हजार पांच सौ रूपये) एवं उस पर वाद प्रस्तुति की दिनांक 29.10.2009 से सम्पूर्ण वसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी बैंक केवल मात्र प्रतिवादी संख्या–1 से ही वाद व्यय प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तद्नुसार पर्चा डिक्री बनाया जावे।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर

21. निर्णय आज दिनांक 30.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर

DINESH MUNDRA
Digitally signed by DINESH MUNDRA
Date: 2026.05.30 11:42:24 +0530

Authenticated Document